



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-229964
CG-DL-E-29092021-229964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943

No. 393]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय

अधिसूचना

पांडिच्चेरी, 2 सितम्बर, 2021

मिसिल संख्या पीयू/एलसी/संशोधन/2019-2020/—पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (धारा 53, 1985) की धारा (27) तथा विश्वविद्यालय की संविधियों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार विश्वविद्यालय-अकादमिक परिषद एवं विश्वविद्यालय-कार्यकारिणी परिषद के द्वारा, "अकादमिक मामलों को संचालित करने वाले अध्यादेश" विषय में संशोधन किये गये हैं और विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 44 के तहत आवश्यकता के अनुसार यहाँ प्रकाशित हैं :

संबद्धता, निरीक्षण और अक्षयनिधि संबंधी शुल्क संरचना - संशोधन के अद्यतनीकरण हेतु शैक्षणिक अध्यादेशों के परिशिष्ट -1 में संशोधन

मौजूदा संस्करण	संशोधित संस्करण
परिशिष्ट -1	परिशिष्ट -2
निरीक्षण समिति निधि, संबद्धता निधि, अक्षयनिधि आदि	निरीक्षण समिति निधि, संबद्धता निधि, अक्षयनिधि आदि
निरीक्षण समिति निधि (स्थानीय निरीक्षण समिति)	निरीक्षण समिति निधि (स्थानीय निरीक्षण समिति)
प्रथम यात्रा: ₹. 15,000 / - + यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता & मानदेय @ ₹.2,000 / - प्रति समिति सदस्य- प्रति कॉलेज निरीक्षण	प्रथम यात्रा: ₹. 30,000 / - + यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता & मानदेय @ ₹.2,000 / - प्रति समिति सदस्य- प्रति कॉलेज निरीक्षण

द्वितीय यात्रा: रु. 15,000/- + यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता & मानदेय @ रु.2,000 / - प्रति समिति सदस्य- प्रति कॉलेज	द्वितीय यात्रा: रु. 30,000/- + यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता & मानदेय @ रु.2,000 / - प्रति समिति सदस्य- प्रति कॉलेज निरीक्षण
निरीक्षण निरीक्षण समिति की सहायता करने वाले गैर शिक्षण अधिकारियों / गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रति कॉलेज निरीक्षण हेतु रु. 500/- का सहायता शुल्क	निरीक्षण समिति की सहायता करने वाले गैर शिक्षण अधिकारियों / गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रति कॉलेज निरीक्षण हेतु रु. 1000/- का सहायता शुल्क
<u>विलंब निधि:</u>	<u>विलंब निधि:</u>
15 दिन तक : रु. 25,000/-	15 दिन तक : रु. 25,000/-
30 दिन तक : रु. 50,000/-	30 दिन तक : रु. 1,00,000/-
30 दिन के उपरांत : रु. 50,000/-+ समापन तक एक महीने की अवधि के लिए प्रति दिन रु. 2,000	30 दिन के उपरांत : रु. 1,00,000/-+ समापन तक एक महीने की अवधि के लिए प्रति दिन रु. 4,000

II. नया कॉलेज / संस्थान का आरंभ करने के लिए संबद्धता निधि - कला और विज्ञान कला और विज्ञान (स्नातक) 1. i)(क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) कला और विज्ञान (स्नातक) : ₹. 50,000 / - 5 पाठ्यक्रमों तक (प्रारंभिक प्रवेशों की संख्या 40) (ख) संबद्धता निधि - कला और विज्ञान (स्नातक) में आगामी पाठ्यक्रमों के लिए : ₹. 15,000 / - प्रति पाठ्यक्रम (ग) संबद्धता निधि- कला और विज्ञान (स्नातक) में अतिरिक्त प्रवेशों के लिए : ₹. 5,000 / - (50 अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में) कला और विज्ञान (स्नातकोत्तर) ii)(क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) कला और विज्ञान (स्नातकोत्तर) : ₹. 75,000 / - 10-15 छात्र (ख) संबद्धता निधि - कला और विज्ञान (स्नातकोत्तर) में आगामी पाठ्यक्रमों के लिए : ₹. 25,000 / - प्रति पाठ्यक्रम (ग) संबद्धता निधि- कला और विज्ञान (स्नातकोत्तर) में अतिरिक्त प्रवेशों के लिए : ₹. 5,000 / - (10 अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में) चिकित्सा चिकित्सा (स्नातक) 2.(i)(क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) चिकित्सा(स्नातक) : ₹. 7,50,000 / - चिकित्सा(स्नातक)100 प्रवेशों तक	II. नया कॉलेज / संस्थान का आरंभ करने के लिए संबद्धता निधि- कला और विज्ञान कला और विज्ञान (स्नातक) 1. i)(क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) कला और विज्ञान (स्नातक) : ₹. 1,00,000 / - 5 पाठ्यक्रमों तक (प्रारंभिक प्रवेशों की संख्या 40) (ख) संबद्धता निधि - कला और विज्ञान (स्नातक) में आगामी पाठ्यक्रमों के लिए : ₹. 30,000 / - प्रति पाठ्यक्रम (ग) संबद्धता निधि- कला और विज्ञान (स्नातक) में अतिरिक्त प्रवेशों के लिए : ₹. 10,000 / - (50 अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में) कला और विज्ञान (स्नातकोत्तर) ii)(क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) कला और विज्ञान (स्नातकोत्तर) : ₹. 1,50,000 / - प्रति पाठ्यक्रम 15 छात्रों तक (ख) संबद्धता निधि - कला और विज्ञान (स्नातकोत्तर) में आगामी पाठ्यक्रमों के लिए : ₹. 50,000 / - प्रति पाठ्यक्रम (ग) संबद्धता निधि- कला और विज्ञान (स्नातकोत्तर) में अतिरिक्त प्रवेशों के लिए : ₹. 10,000 / - (10 अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में) 2. चिकित्सा (i) चिकित्सा (स्नातक) (क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) : ₹. 15,00,000 / - 100 प्रवेशों तक
---	--

(ख) संबद्धता निधि चिकित्सा(स्नातक) में आगामी पाठ्यक्रमों के लिए : रु. 1,00,000 / - (50 इकाइयों अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में)

चिकित्सा (स्नातकोत्तर)

1.(ii)(क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) चिकित्सा(स्नातकोत्तर)/ दंत चिकित्सा (स्नातकोत्तर) 4 इकाइयों में सूपर स्पेशलिटी को मिलाकर : रु. 5,00,000 / -

इस खंड का संशोधन 2(ii)(क) (i)&(ii) और 3 (क) (i)&(ii) के तहत किया गया है।

(i).ii (ख) संबद्धता निधि-चिकित्सा(स्नातकोत्तर)/ दंत चिकित्सा (स्नातकोत्तर) में अतिरिक्त प्रवेशों के लिए 4 इकाइयों में सूपर स्पेशलिटी को मिलाकर : रु. 1,00,000 / - (4 इकाइयों तक की इकाइयों अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में)

इस खंड का संशोधन 2(ii)(ख) (i) & (क)& 3 (i) (ग) के तहत किया गया है।

i. दंत चिकित्सा (स्नातक)

(ii)(क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) अभियांत्रिकी / दंत चिकित्सा(स्नातक) हेतु अधिकतम 3 पाठ्यक्रम, 60 छात्रों के साथ : रु. 3,00,000/-

इस खंड का संशोधन 3(i)(क) & 4(i)(क) के तहत किया गया है।

(ii)(ख) संबद्धता निधि अभियांत्रिकी / दंत चिकित्सा(स्नातक) हेतु आगामी पाठ्यक्रमों के लिए : रु. 50,000/-

इस खंड का संशोधन 3(i)(ख) & 4(i)(ख) के तहत किया गया है।

(ii)(ग) संबद्धता निधि अभियांत्रिकी / दंत चिकित्सा(स्नातक) में अतिरिक्त प्रवेशों के लिए (अतिरिक्त 60 तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में): रु. 1,00,000/-

इस खंड का संशोधन 3(i)(ग) & 4(i)(ग) के तहत किया गया है।

(ख) संबद्धता निधि चिकित्सा(स्नातक) में आगामी पाठ्यक्रमों के लिए : रु. 2,00,000 / - (50 इकाइयों अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में)

(ii)चिकित्सा (स्नातकोत्तर)

(क) i. संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) (4 इकाइयों तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में- प्रति पाठ्यक्रम): रु. 10,00,000 / -

ii. सूपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (4 इकाइयों तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में प्रति पाठ्यक्रम): रु. 15,00,000 /-

(ख) i. संबद्धता निधि- अतिरिक्त प्रवेशों के लिए 4 इकाइयों में सूपर स्पेशलिटी को मिलाकर : रु. 2,00,000 / - (4 इकाइयों तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में)

ii. सूपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (4 इकाइयों तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में प्रति पाठ्यक्रम): रु. 2,50,000 /-

3. दंत चिकित्सा

i. दंत चिकित्सा (स्नातक)

(क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) अभियांत्रिकी / दंत चिकित्सा(स्नातक) हेतु अधिकतम 3 पाठ्यक्रम, प्रति पाठ्यक्रम के लिए 60 छात्रों के साथ : रु. 6,00,000/-

(ख) आगामी पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता निधि (प्रति पाठ्यक्रम) : रु. 1,00, 000/-

(ग) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धता निधि (अतिरिक्त 60 तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में) : रु. 2,00,000/-

ii. दंत चिकित्सा (स्नातकोत्तर)

क) i. संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) (4 इकाइयों तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में- प्रति पाठ्यक्रम) : रु. 10,00,000/-

ii. सूपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (4 इकाइयों तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में- प्रति पाठ्यक्रम) : रु. 15,00,000/-

3. दंत चिकित्सा

ii. दंत चिकित्सा (स्नातकोत्तर)

ख) i. अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धता निधि (4 इकाइयों तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में) : रु. 2,00,000/-

अभियांत्रिकी (स्नातकोत्तर) (ii) i.(क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) अभियांत्रिकी (स्नातकोत्तर) हेतु प्रति पाठ्यक्रम में 25 छात्रों के साथ : रु. 1,50,000/- (ii) i.(ख) संबद्धता निधि (अतिरिक्त प्रवेशों के लिए) अभियांत्रिकी (स्नातकोत्तर) हेतु (25-50 छात्रों के साथ और उनके गुणकों में): रु. 50,000/- विधि पाठ्यक्रम i. विधि (स्नातक) (iii)(क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) विधि(स्नातक) हेतु 80 छात्रों की इकाई : रु. 1,00,000/- (iii)(ख) संबद्धता निधि (अतिरिक्त प्रवेशों के लिए) विधि (स्नातक) हेतु 81 से 120 तक छात्र संख्या और उनके गुणकों में: रु. 50,000/- ii. विधि (स्नातकोत्तर) (iii)(क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) विधि(स्नातकोत्तर) हेतु 10 छात्रों की एक इकाई : रु. 1,50,000/- (iii) i(ख) संबद्धता निधि (अतिरिक्त प्रवेशों के लिए) विधि (स्नातकोत्तर) हेतु 11 से 20 तक छात्र संख्या और उनके गुणकों में: रु. 50,000/-	ii. सूपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (4 इकाइयों तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में) : रु. 2,50,000/- 4. अभियांत्रिकी 4.i. अभियांत्रिकी (स्नातक) क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) अधिकतम 3 पाठ्यक्रम, प्रति पाठ्यक्रम में 60 छात्रों के साथ : रु. 6,00,000/- ख) आगामी पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता निधि (प्रति पाठ्यक्रम) : रु. 1,00,000/- ग) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धता निधि (अतिरिक्त 60 तक अथवा उसके भाग तथा उसके गुणकों में) : रु. 2,00,000/- ii. अभियांत्रिकी (स्नातकोत्तर) (क) संबद्धता निधि (प्रथम वर्ष के लिए प्रारंभिक) प्रति पाठ्यक्रम में छात्र-संख्या 25 तक : रु. 3,00,000/- (ख) संबद्धता निधि (अतिरिक्त प्रवेशों के लिए) (26 से 50 छात्रों तक और उसके गुणकों में) : रु. 1,00,000/- 5. विधि पाठ्यक्रम i. विधि (स्नातक) (क) संबद्धता निधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) हेतु 80 छात्रों तक की इकाई : रु. 2,00,000/- (ख) संबद्धता निधि (अतिरिक्त प्रवेशों के लिए) 81 से 120 तक छात्र संख्या और उनके गुणकों में: रु. 1,00,000/- ii. विधि (स्नातकोत्तर) (क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) 10 छात्रों की एक इकाई तक : रु. 3,00,000/- (ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धता निधि 11 से 20 तक छात्र संख्या और उनके गुणकों में : रु. 1,00,000/-
---	--

अध्यापक शिक्षा (iii)ii(क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) बी.एड./ बी.एड.(एकीकृत) 100 छात्र प्रति पाठ्यक्रम : रु. 5,00,000/- (iii)ii(ख) संबद्धतानिधि (अतिरिक्त प्रवेशों के लिए) बी.एड./ बी.एड.(एकीकृत) हेतु 101 से 160 छात्र और गुणकों में : रु. 1,00,000/- एम.एड. (iii)iii(क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) एम.एड. 30 छात्रों के लिए : रु. 7,50,000/- (iii)iii(ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धतानिधि एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु 31 से 50 छात्र और गुणकों में : रु. 2,50,000/- पशु चिकित्सा/ कृषि (स्नातक) (iii)iv(क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) पशु चिकित्सा/कृषि (स्नातक) 60 छात्रों के लिए : रु. 3,00,000/- (iii)iv(ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धतानिधि पशु चिकित्सा/कृषि (स्नातक) पाठ्यक्रम हेतु 61 से 90 छात्र और गुणकों में : रु. 1,00,000/- पैरा मेडिकल/ बी.फार्म./ बीपीटी/ बी.एससी. (नर्सिंग) आदि (iii)v(क)संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) पैरा मेडिकल/ बी.फार्म./ बीपीटी/ बी.एससी. (नर्सिंग) आदि 100 छात्रों की इकाई हेतु : रु. 3,00,000/- (iii)v(ख)अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धतानिधि पैरा मेडिकल/ बी.फार्म./ बीपीटी/ बी.एससी. (नर्सिंग) आदि पाठ्यक्रम हेतु 101 से 160 छात्र और गुणकों में : रु. 1,00,000/- अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, एमसीए./ एम.बी.ए./एम.फार्म/ एम.बी.एस.सी/ एम.एससी.(कृषि) आदि (iii)vi (क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, एमसीए./ एमबीए./एम.फार्म/ एम.बी.एस.सी/ एम.एससी.(कृषि) आदि 60 प्रवेशों तक: रु. 2,50,000/- (iii)vi (ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धतानिधि अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, एमसीए./ एमबीए./एम.फार्म/ एम.बी.एस.सी/ एम.एससी.(कृषि) आदि पाठ्यक्रम हेतु 61 से 120 और गुणकों में : रु. 1,00,000/-	6. अध्यापक शिक्षा ii. बी.एड./ बी.एड.(एकीकृत) (क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) (100 छात्र प्रति पाठ्यक्रम) : रु. 10,00,000/- (ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धतानिधि 101से 160 छात्र और गुणकों में : रु. 2,00,000/- ii. एम.एड. (क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) 30 छात्रों तक : रु. 15,00,000/- (ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धतानिधि 31 से 50 छात्र और गुणकों में : रु. 5,00,000/- 7. पशु चिकित्सा/ कृषि (स्नातक) (क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) 60 छात्रों तक : रु. 6,00,000/- (ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धतानिधि 61 से 90 छात्रों तक और गुणकों में : रु. 2,00,000/- 8. पैरा मेडिकल/ बी.फार्म./ बीपीटी/ बी.एससी. (नर्सिंग) आदि (क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) 100 छात्रों की इकाई हेतु : रु. 6,00,000/- (ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धतानिधि 101 से 160 छात्र और गुणकों में : रु. 2,00,000/- 9. अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम, एमसीए./ एम.बी.ए./एम.फार्म/ एम.बी.एस.सी/ एम.एससी.(कृषि) आदि (क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) 60 प्रवेशों तक: रु. 5,00,000/- (ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धतानिधि 61 से 120 और गुणकों में : रु. 2,00,000/-
---	--

एम.फिल. पाठ्यक्रम (iii)vii (क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) एम.फिल. 5 पाठ्यक्रमों तक 10 प्रवेश प्रति पाठ्यक्रम: रु. 2,50,000/- (iii)vii (ख) एम.फिल. में प्रति पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धता निधि 10 से 15 और 5 के गुणकों में : रु. 5,000 पीएच.डी पाठ्यक्रम (iii)viii (क) पीएच.डी की संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) 5 पाठ्यक्रमों तक : रु. 2,50,000/-	10. एम.फिल. पाठ्यक्रम (क) संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) (5 पाठ्यक्रमों तक 10 प्रवेश प्रति पाठ्यक्रम): रु. 5,00,000/- (ख) अतिरिक्त प्रवेशों के लिए संबद्धता निधि 11 से 15 और 5 के गुणकों में प्रति पाठ्यक्रम: रु. 10,000 11. पीएच.डी पाठ्यक्रम संबद्धतानिधि (प्रारंभिक 1 वर्ष के लिए) (क) कला और विज्ञान : रु. 5,00,000/- (पीएच.डी. 5 पाठ्यक्रमों तक) (ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए : रु. 10,00,000 (पीएच.डी. 5 पाठ्यक्रमों तक)
---	--

अंतिम संबद्धता की निरंतरता हेतु संबद्धतानिधि- प्रति पाठ्यक्रम 3.1 कला और विज्ञान (स्नातक) : रु. 10,000 I(ii)विधि(स्नातक) छात्रों की इकाई हेतु : रु. 10,000 I(iii)(क)कला और विज्ञान(स्नातकोत्तर) प्रति पाठ्यक्रम : रु. 10,000 चिकित्सा ख) चिकित्सा (स्नातक) (प्रति पाठ्यक्रम)सौ प्रवेशों तक: रु. 1,50,000 (50 तक अधिक प्रवेशों के लिए या उसके भाग के लिए और उसके गुणकों में- रु. 75,000/-) ग) चिकित्सा (स्नातकोत्तर)/ दंत चिकित्सा (स्नातकोत्तर) सूपर स्पेशलिटी सहित चार इकाइयों में : रु. 50,000 सौ प्रवेशों तक। (4 या उससे अधिक प्रवेशों के लिए और उसके गुणकों में रु. 25,000/-) इस खंड का 2(ख) (i),(ii),(iii) & (iv) और 3 (ख) (i),(ii),(iii) & (iv) के तहत संशोधन किया गया है। दंत चिकित्सा/ अभियांत्रिकी घ) अभियांत्रिकी/ दंत चिकित्सा (स्नातक) अधिकतम 3 पाठ्यक्रमों के लिए @60 छात्र प्रति पाठ्यक्रम: रु. 50,000/-	III. अंतिम संबद्धता की निरंतरता हेतु संबद्धतानिधि 1. कला और विज्ञान (स्नातक) क) स्नातक (प्रति पाठ्यक्रम) : रु. 10,000 ख) स्नातक (प्रति पाठ्यक्रम) : रु. 20,000 संशोधित संस्करण 5(क) में शामिल किया गया है संशोधित संस्करण III 1(ख) में शामिल किया गया है 2. चिकित्सा क) i. स्नातक सौ प्रवेशों तक (प्रति पाठ्यक्रम): रु. 3,00,000 ii. 50 तक अधिक प्रवेशों के लिए या उसके भाग के लिए और उसके गुणकों में रु. 1,50,000/-) ख) i. स्नातकोत्तर प्रति पाठ्यक्रम चार तक की इकाइयों में : रु. 1,00,000 ii. उससे अधिक प्रवेशों या भाग के लिए और उसके गुणकों में : रु. 50,000/- iii. सूपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम के लिए (चार तक इकाइयों में) : रु. 1,50,000/- iv. उससे अधिक प्रवेशों या भाग के लिए और उसके गुणकों में : रु. 1,00,000/- 3. दंत चिकित्सा क) i. स्नातक (अधिकतम 3 पाठ्यक्रमों के लिए @60 छात्र प्रति पाठ्यक्रम: रु. 1,00,000/-
--	--

इस खंड का 3(क) (i) & 4 (क) (i) के तहत संशोधन किया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त 60 छात्रों या उसके भाग के लिए (प्रति पाठ्यक्रम): रु. 10,000/- इस खंड का 3(क) (ii) & 4 (क) (ii) के तहत संशोधन किया गया है। ड) अभियांत्रिकी (स्नातकोत्तर) 25 छात्रों के साथ प्रति पाठ्यक्रम: रु. 25,000/- विधि च) विधि (स्नातकोत्तर) 10 छात्रों की इकाई के लिए प्रति पाठ्यक्रम: रु. 10,000/- अध्यापक शिक्षा छ) बी.एड/ बी.एड (एकीकृत) 100 छात्रों की संख्या तक प्रति पाठ्यक्रम: रु. 50,000/- एम.एड. ज) एम.एड. 30 प्रवेशों के लिए: रु. 50,000/- पशु चिकित्सा/ कृषि (स्नातक) झ) पशु चिकित्सा/ कृषि(स्नातक) 60 छात्रों के प्रवेशों के लिए : रु. 60,000/- पैरा मेडीकल पाठ्यक्रम ञ) पैरा मेडीकल : बी.फार्म/ बीपीटी/ बी.एससी. नर्सिंग आदि- 100 छात्रों की एक इकाई के लिए प्रति पाठ्यक्रम : रु. 75,000/-	ii. प्रत्येक अतिरिक्त 60 छात्रों या उसके भाग के लिए (प्रति पाठ्यक्रम): रु. 20,000/- ख) i. स्नातकोत्तर चार तक इकाइयों में: रु. 1,00,000/- ii. उससे अधिक और उसके गुणकों में: रु. 50,000/- iii. सूपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (चार तक इकाइयों में): रु. 1,50,000/- iv. उससे अधिक प्रवेशों या भाग के लिए और उसके गुणकों में: रु. 1,00,000/- 4. अभियांत्रिकी क) i. स्नातक (अधिकतम 3 पाठ्यक्रम और छात्र-संख्या 60 तक प्रति पाठ्यक्रम) : रु. 1,00,000/- ii. हर अतिरिक्त 60 छात्रों के लिए या उसके भाग हेतु (प्रति पाठ्यक्रम) : रु. 20,000/- ख) स्नातकोत्तर 25 छात्रों के साथ प्रति पाठ्यक्रम: रु. 50,000/- विधि क) स्नातक (80 छात्रों की इकाई के लिए): रु. 20,000/- ख) स्नातकोत्तर (10 छात्रों की इकाई के लिए): रु. 20,000/- अध्यापक शिक्षा क) बी.एड/ बी.एड (एकीकृत) 100 छात्रों की संख्या तक: रु. 1,00,000/- ख) एम.एड. 30 प्रवेशों तक : रु. 1,00,000/- पशु चिकित्सा/ कृषि (स्नातक) झ) पशु चिकित्सा/ कृषि(स्नातक) 60 छात्रों के प्रवेशों के लिए : रु. 1,20,000/- 8. पैरा मेडीकल पाठ्यक्रम ख) बी.फार्म/ बीपीटी/ बी.एससी. नर्सिंग आदि- 100 छात्रों की एक इकाई के लिए: रु. 1,50,000/-
--	--

अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम ट) अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा एम.सी.ए./ एम.बी.ए./ एम.फार्म./ एम.वी.एससी/ एम.एससी. (कृषि) आदि- 60 प्रवेशों तक : ₹. 20,000/- मान्यता की निरंतरता ठ) एम.फल. पाँच पाठ्यक्रमों तक : ₹. 20,000/- ₹. 5,000/- प्रति अतिरिक्त पाठ्यक्रम ड) पीएच.डी पाँच पाठ्यक्रमों तक ₹. 20,000/- ₹. 5,000/- प्रति अतिरिक्त पाठ्यक्रम	9. अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम एम.सी.ए./ एम.बी.ए./ एम.फार्म./ एम.वी.एससी/ एम.एससी. (कृषि) आदि- 60 प्रवेशों तक : ₹. 40,000/- 10. मान्यता की निरंतरता क) i. एम.फल. पाँच पाठ्यक्रमों तक : ₹. 40,000/- ii. प्रति अतिरिक्त पाठ्यक्रम : ₹. 10,000/- ख) i. पीएच.डी पाँच पाठ्यक्रमों तक : ₹. 40,000/- कला और विज्ञान व्यावसायिक पाठ्यक्रम : ₹. 75,000/- ii. प्रति अतिरिक्त पाठ्यक्रम : ₹. 10,000/- कला और विज्ञान व्यावसायिक पाठ्यक्रम : ₹. 25,000/-
3. II. अनुवर्ती वर्षों में प्रति पाठ्यक्रम हेतु संबद्धतानिधि कला & विज्ञान (i) कला & विज्ञान (प्रति पाठ्यक्रम): ₹. 20,000/- (स्नातक) चिकित्सा (ii) क) चिकित्सा : नहीं (स्नातक)	IV. अनुवर्ती वर्षों में प्रति पाठ्यक्रम हेतु संबद्धतानिधि 1. कला & विज्ञान क) स्नातक (प्रति पाठ्यक्रम): ₹. 40,000/- ख) स्नातकोत्तर (10-15 छात्र प्रति पाठ्यक्रम): ₹. 1,00,000/- ग) एम.फल. (10 प्रवेशों तक प्रति कार्यक्रम): ₹. 40,000/- घ) पीएच.डी (प्रति कार्यक्रम): ₹. 10,000/- 2. चिकित्सा क) स्नातक (प्रति पाठ्यक्रम): नहीं ख) (i) स्नातकोत्तर (प्रति पाठ्यक्रम - चार इकाइयों तक अथवा उसके भाग और उसके गुणकों में) : ₹. 4,00,000/- (ii) उससे चार अधिक अथवा उसके भाग: ₹. 2,00,000/- (iii) सूपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम के लिए : ₹. 4,50,000/- (प्रति पाठ्यक्रम- चार इकाइयों तक अथवा उसके भाग और उसके गुणकों में)

दंत चिकित्सा ख) अभियांत्रिकी/ दंत चिकित्सा (स्नातक) : रू.1,00,000/- अधिकतम 3 पाठ्यक्रम@ 60 छात्र प्रति पाठ्यक्रम इस खंड का IV 3(क) (i) & 4 (क) (i) के तहत संशोधन किया गया है। 60 छात्रों से अधिक या उसके भाग प्रति पाठ्यक्रम: रू.50,000/- इस खंड का IV 3(क)(ii) & 4(क)(ii) के तहत संशोधन किया गया है। अभियांत्रिकी विधि ग) विधि (स्नातक) : लागू नहीं अध्यापक शिक्षा घ) बी.एड/ बी.एड. (एकीकृत) : लागू नहीं पशु चिकित्सा/ कृषि ड) पशु चिकित्सा / कृषि (स्नातक): लागू नहीं	दंत चिकित्सा क)(i) स्नातक: रू. 2,00,000/- (अधिकतम 3 पाठ्यक्रम 60 प्रवेशों तक प्रति पाठ्यक्रम) (ii) छात्रों से अधिक अथवा उसके भाग प्रति पाठ्यक्रम: रू. 1,00,000/- ख) (i) स्नातकोत्तर: रू. 4,00,000/- (प्रति पाठ्यक्रम- चार इकाइयों तक अथवा उसके भाग और उसके गुणकों में) (ii) 4 से अधिक अथवा उसके भाग: रू. 2,00,000/- (iii) सूपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम: रू. 4,50,000/- (प्रति पाठ्यक्रम- चार इकाइयों तक अथवा उसके भाग और उसके गुणकों में) 4. अभियांत्रिकी क)(i) स्नातक: रू. 2,00,000/- (अधिकतम 3 पाठ्यक्रम 60 प्रवेशों तक प्रति पाठ्यक्रम) (ii) 60 प्रवेशों से अधिक या उसके भाग प्रति कार्यक्रम: रू. 1,00,000/- ख) स्नातकोत्तर: रू. 2,00,000/- (25 प्रवेशों तक प्रति पाठ्यक्रम) 5. विधि क) स्नातक : नहीं ख) स्नातकोत्तर (प्रति पाठ्यक्रम 10 छात्रों तक एक इकाई के लिए): रू. 50,000/- 6. अध्यापक शिक्षा क) बी.एड/ बी.एड. (एकीकृत) : नहीं ख) एम.एड. 30 छात्रों के लिए : नहीं 7. पशु चिकित्सा/ कृषि क) स्नातक : लागू नहीं
---	--

[illegible]

	रु. 50,000/- ख) भारतीय चिकित्सा के तहत नये कॉलेज हेतु आवेदन के लिए प्रक्रमण संसाधन शुल्क: रु. 25,000/- ii) नये पाठ्यक्रम हेतु आवेदन का प्रक्रमण संसाधन शुल्क: रु. 25,000/- iii) प्रवेशों में वृद्धि-आवेदन के लिए प्रक्रमण संसाधन शुल्क: रु. 5,000/- iv) नये पाठ्यक्रम(जिनके लिए कोई पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है) आरंभ करने के लिए आवेदनों का प्रक्रमण-संसाधन शुल्क : सभी अनुशासनों के लिए: रु. 4,00,000/- 7. जुर्माना (एक पाठ्यक्रम में, जिसके लिए संबद्धता पहले ही मंजूर की गयी हो, अनधिकृत अतिरिक्त प्रवेश हेतु) <table border="1" data-bbox="799 920 1425 1424"> <tr> <td data-bbox="799 920 1110 1160">(i) कला और विज्ञान के पाठ्यक्रमों के लिए</td><td data-bbox="1110 920 1425 1160">(क) स्नातक में प्रति प्रवेश रु. 30,000/- (ख) स्नातकोत्तर में प्रति प्रवेश रु. 40,000/-</td></tr> <tr> <td data-bbox="799 1160 1110 1424">(ii) व्यावसायिक सभी पाठ्यक्रमों के लिए</td><td data-bbox="1110 1160 1425 1424">(क) स्नातक में प्रति प्रवेश रु. 50,000/- (ख) स्नातकोत्तर में प्रति प्रवेश रु. 75,000/-</td></tr> </table> टिप्पणी : उपर्युक्त जुर्माने के अलावा, कुलपति महोदय मामले के अनुसार संबंधित कॉलेजों के अपराधों की गंभीरता के आधार पर वसूल किये जाने वाले जुर्माने की मात्रा पर निर्णय ले सकते हैं। 8. भारतीय चिकित्सा-शिक्षा के अंतर्गत आयुर्वेद/ सिद्ध/ होमियोपथी आदि नये शिक्षा अनुशासनों की संबद्धता निधि: (i) नया कॉलेज आरंभ करने के लिए (100 प्रवेशों तक): रु. 2,00,000/- (ii) नया पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए (प्रति पाठ्यक्रम): रु. 50,000/- (iii) प्रवेशों में वृद्धि के लिए (1-10): रु. 20,000/-	(i) कला और विज्ञान के पाठ्यक्रमों के लिए	(क) स्नातक में प्रति प्रवेश रु. 30,000/- (ख) स्नातकोत्तर में प्रति प्रवेश रु. 40,000/-	(ii) व्यावसायिक सभी पाठ्यक्रमों के लिए	(क) स्नातक में प्रति प्रवेश रु. 50,000/- (ख) स्नातकोत्तर में प्रति प्रवेश रु. 75,000/-
(i) कला और विज्ञान के पाठ्यक्रमों के लिए	(क) स्नातक में प्रति प्रवेश रु. 30,000/- (ख) स्नातकोत्तर में प्रति प्रवेश रु. 40,000/-				
(ii) व्यावसायिक सभी पाठ्यक्रमों के लिए	(क) स्नातक में प्रति प्रवेश रु. 50,000/- (ख) स्नातकोत्तर में प्रति प्रवेश रु. 75,000/-				

4. स्थाई संबद्धतानिधि/ कॉलेजों के लिए मानदंड				IV. स्थाई संबद्धतानिधि/ कॉलेजों के लिए मानदंड			
क्र.सं	स्थायी संबद्धता निधि	स्थायी संबद्धता निधि-5 वर्षों तक रु.	स्थायी संबद्धता निधि प्रति अतिरिक्त पाठ्यक्रम	क्र.सं	पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के नाम	स्थायी संबद्धता निधि-5 वर्षों तक	स्थायी संबद्धता निधि प्रति अतिरिक्त पाठ्यक्रम
(i)	कला & विज्ञान (स्नातक) (5 पाठ्यक्रम) कला & विज्ञान (स्नातकोत्तर) (10-15 प्रवेश)	रु.1,00,000	रु.20,000	(1)	कला & विज्ञान (स्नातक) (5 पाठ्यक्रम) कला & विज्ञान (स्नातकोत्तर) (10-15 प्रवेश)	रु.2,00,000	रु.40,000
(ii)	चिकित्सा (स्नातक) (100 प्रवेशों तक)	रु.15,00,000 (100 तक) अतिरिक्त 50 या उसके भाग हेतु रु.7,50,000	जैसे पिछले कॉलम में सूचित किया गया है।	(2)	चिकित्सा (स्नातक) (100 प्रवेशों तक) अतिरिक्त 50 या उसके भाग	रु.30,00,000 रु.15,00,000	जैसे पिछले कॉलम में सूचित किया गया है।
(iii) (क)	चिकित्सा (पीजी)/ दंत चिकित्सा सुपर स्पेशलिटी सहित 4 की इकाइयों में प्रति पाठ्यक्रम	रु.4,00,000	रु.4,00,000	(3)	चिकित्सा (पीजी) (4 की इकाइयों में प्रति पाठ्यक्रम) अतिरिक्त 4 प्रवेश या उसके भाग	रु.8,00,000 रु.4,00,000	रु.8,00,000 रु.4,00,000
(ख) (iv)	अतिरिक्त 4 प्रवेश अथवा उसके भाग अभियांत्रिकी/ दंत चिकित्सा (स्नातक) अधिकतम 3 पाठ्यक्रम@60 प्रवेश प्रति पाठ्यक्रम इससे 60 अधिक अथवा उसके भाग हेतु	रु.2,00,000 रु.2,00,000 रु.1,00,000	रु.2,00,000 रु.2,00,000 रु.1,00,000	(4)	सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (4 की इकाइयों में प्रति पाठ्यक्रम) अतिरिक्त 4 प्रवेश या उसके भाग दंतचिकित्सा (स्नातक)अधिकतम 3 पाठ्यक्रम@60 प्रवेश प्रति पाठ्यक्रम 60 से अधिक उसके भाग के लिए	रु.8,50,000 रु.4,50,000 रु.4,00,000	रु.8,50,000 रु.4,50,000 रु.4,00,000
						रु.2,00,000	रु.2,00,000

				(5)	दंतचिकित्सा (स्नातकोत्तर) प्रति पाठ्यक्रम 4 इकाइयों में	रु.8,00,000	रु.8,00,000
					अतिरिक्त 4 प्रवेश या उसके भाग	रु.4,00,000	रु.4,00,000
					सूपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम (4 की इकाइयों में प्रति पाठ्यक्रम)	रु.8,50,000	रु.8,50,000
					अतिरिक्त 4 प्रवेश या उसके भाग	रु.4,50,000	रु.4,50,000
				(6)	अभियांत्रिकी (स्नातक)अधिकतम 3 पाठ्यक्रम 60 प्रवेशों तक प्रति पाठ्यक्रम	रु.4,00,000	रु.4,00,000
					60 से अधिक उसके भाग		
				(7)	अभियांत्रिकी (पीजी) 25 प्रवेशों के सहित प्रति पाठ्यक्रम	रु.2,00,000 रु. 4,00,000	रु.2,00,000 रु. 4,00,000
(v)	अभियांत्रिकी (पीजी) 25 प्रवेशों के साथ प्रति पाठ्यक्रम	रु. 2,00,000	रु.2,00,000				
(vi)	विधि (स्नातक) 80 छात्रों की एक इकाई हेतु प्रति पाठ्यक्रम	रु. 1,00,000	रु.1,00,000	(8)	विधि (स्नातक) 80 छात्रों की एक इकाई हेतु प्रति पाठ्यक्रम	रु. 2,00,000	रु. 2,00,000

(vii)	विधि (स्नातकोत्तर) 10 छात्रों की एक इकाई हेतु प्रति पाठ्यक्रम	रु. 1,00,000	रु. 1,00,000	(9)	विधि(स्नातकोत्तर) 10 छात्रों की एक इकाई हेतु प्रति पाठ्यक्रम	रु. 2,00,000	रु. 2,00,000
(viii)	बी.एड/बी.एड (एकीकृत) 100 छात्रों तक प्रति पाठ्यक्रम	रु. 5,00,000	रु. 5,00,000	(10)	बी.एड/बी.एड (एकीकृत) 100 छात्रों तक प्रति पाठ्यक्रम	रु. 10,00,000	रु. 10,00,000
(ix)	एम.एड. 30 छात्रों के लिए	रु. 5,00,000	रु. 5,00,000	(11)	एम.एड. 30 छात्रों के लिए	रु. 10,00,000	रु. 10,00,000
(x)	पशु चिकित्सा/ कृषि (स्नातक) 60 छात्रों के लिए प्रति पाठ्यक्रम	रु. 6,00,000	रु. 6,00,000	(12)	पशु चिकित्सा/ कृषि (स्नातक) 60 छात्रों के लिए प्रति पाठ्यक्रम	रु. 12,00,000	रु. 12,00,000
(xi)	पैरा मेडिकल : बी.फार्म/ बीपीटी/ बी.एससी (नर्सिंग) आदि 100 छात्रों की एक इकाई हेतु प्रति पाठ्यक्रम	रु. 5,00,000	रु. 1,00,000	(13)	पैरा मेडिकल : बी.फार्म/ बीपीटी/ बी.एससी (नर्सिंग) आदि 100 छात्रों की एक इकाई हेतु प्रति पाठ्यक्रम	रु. 10,00,000	रु. 10,00,000
(xii)	अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम : एम.सी.ए./ एम.बी.ए./ एम.फार्म/ एम.बी.एससी./ एम.एससी(कृषि) आदि प्रति पाठ्यक्रम 60 प्रवेशों तक	रु. 80,000	रु. 50,000	(14)	अन्य स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम : एम.सी.ए./ एम.बी.ए./ एम.फार्म/ एम.बी.एससी./ एम.एससी(कृषि) आदि प्रति पाठ्यक्रम 60 प्रवेशों तक	रु. 1,60,000	रु. 1,00,000
(xiii)	एम.फिल/ पीएच.डी 10 प्रवेशों तक 5 पाठ्यक्रमों के लिए	रु. 80,000	रु. 50,000	(15)	एम.फिल/ पीएच.डी 10 प्रवेशों तक 5 पाठ्यक्रमों के लिए	रु. 1,60,000	रु. 1,00,000
(xiv)	पीएच.डी 5 पाठ्यक्रमों के लिए	रु. 80,000	रु. 50,000	(16)	पीएच.डी 5 पाठ्यक्रमों के लिए	रु. 1,60,000	रु. 1,00,000

स्थायी संबद्धता अनुदान प्रदान करने हेतु मानदंड

i. तीन लगातार

.

.

xiii..... स्थायी संबद्धता.

टिप्पणी : i) अनुदान

ii).....शासकीय महाविद्यालय

कोई परिवर्तन नहीं

स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए मानदंड

i) छात्रों के तीन बैचों को संबंधित अनुशासन में पास होना चाहिए, जिसके लिए स्थायी संबद्धता मांगी गयी है।

ii) संस्थान को संबद्धता के अनुदान के समय निर्धारित संबद्धता मानदंडों के अनुसार असंबद्ध भूमि और भवन के लिए सबूत दिखाना चाहिए। भूमि के लिए सरकारी वकील की कानूनी राय भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

iii) सरकारी संगठन / वैधानिक संगठनों द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार नियमितीकरण के आधार पर (कम से कम 80%) शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ऐसे शिक्षकों के पास यूजीसी / सम्मानीय सांविधिक संगठन द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। उन रिकॉर्डों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

iv) संस्थान को सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए और संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

v) यदि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता के अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की कोई घटना पायी जाती है, तो, विश्वविद्यालय के पास एक निर्धारित अवधि के लिए संस्थान की संबद्धता निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसका निर्णय उल्लंघन के स्वरूप के आधार पर समिति के द्वारा किया जाएगा।

vi) संस्थान को सीधे या उसके किसी संबंधित न्यास आदि के माध्यम से, विश्वविद्यालय/ सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क और अन्य शुल्कों को छोड़कर अपने कर्मचारियों अथवा छात्रों से कोई कैपिटेशन शुल्क या दान नहीं लेना चाहिए।

vii) गैर-सहायताप्राप्त कॉलेज के प्रबंधन के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक पंजीकृत चार्टर्ड द्वारा लेखा परीक्षा की गयी खाते होने चाहिए। वित्तीय वर्ष के समापन से छह महीने के भीतर निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय को लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक खातों की एक प्रति उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

viii) विश्वविद्यालय / सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवेश दिये जाने चाहिए।

ix) संबद्धता की निरंतरता के लिए किसी भी समय संस्था का निरीक्षण करने का अधिकार विश्वविद्यालय सुरक्षित रखता है।

x) संस्था को विश्वविद्यालय के नियमों/मानदंडों के तहत बनाए जाने के लिए आवश्यक सभी रजिस्टर और रिकॉर्ड और सांख्यिकीय डेटा बनाए रखना चाहिए और आवश्यकता पर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

xi) संस्थान को पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के 1 अक्टूबर को या उससे पहले वेबसाइट www.pondiuni.edu.in में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में स्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

xii) कॉलेज की स्थायी-संबद्धता की स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी परिवर्तन-चाहे वह संकाय की स्थिति हो या आधारभूत सुविधाएँ, विश्वविद्यालय की दृष्टि में आते ही, वह उस कॉलेज की संबद्धता की अयोग्यता का कारण बन सकता है।

xiii) स्थायी संबद्धता का अनुरोध करनेवाले कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय को सभी बकाया राशि का भुगतान समय पर सटीक रूप से किया जाना चाहिए।

xiv) स्थायी संबद्धता का अनुरोध करनेवाले कॉलेज में तीन साल कोई लगातार दोष नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी:

i) स्थायी संबद्धता का अनुदान पाँच साल में एक बार समीक्षा के अधीन होगा और तदनुसार निधि का भुगतान पाँच साल में एक बार किया जा सकता है।

ii) दीर्घकालिक अनुबंध/ तदर्थ नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से सरकारी कॉलेजों में, निरीक्षण-समिति द्वारा नियमित शिक्षकों की उपलब्धता की न्यूनतम आवश्यकता तय की जा सकती है।

नये कॉलेजों / पाठ्यक्रमों के लिए अक्षयनिधि और भूमि के लिए मौजूदा प्रावधान

अक्षयनिधि: नये कॉलेज खोलने के लिए या नये पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए कॉलेजों के द्वारा बनाये जाने वाले अक्षयनिधियों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाएगा।

अक्षयनिधि: अक्षयनिधि की पचास प्रतिशत राशि को कुलसचिव, पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय और कॉलेज-प्रबंधन संयुक्त नामों पर किसी राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित बैंक में निवेशित सावधि जमा के रूप में दिखाया जाना चाहिए और शेष पचास प्रतिशत की राशि को संपत्ति के रूप में कॉलेज के प्रबंधन द्वारा दिखाया जा सकता है। यह वार्षिक आय प्राप्त करने वाली अभारग्रस्त परिसंपत्तियों के रूप में होना चाहिए। दोनों आय, यानी, सावधि जमा से वार्षिक व्याज और अभारग्रस्त परिसंपत्तियों से प्राप्त वार्षिक आय को केवल कॉलेज के रखरखाव के लिए खर्च किया जाना चाहिए।

आगे के पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक अक्षयनिधि: (यदि प्रबंधन की ओर से अनुरोध प्राप्त होते हैं तो, अक्षयनिधि का किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दो किस्तों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए चार किस्तों में भुगतान किया जा सकता है।)

परिसंपत्तियों की परिभाषा: अभारग्रस्त संपत्ति, कॉलेज भवन, कर्मचारी भवन, छात्रावास, कृषि भूमि।

नये कॉलेज/ पाठ्यक्रमों के लिए अक्षयनिधि और भूमि के लिए मौजूदा प्रावधान

अक्षयनिधि: नये कॉलेज खोलने के लिए या नये पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए कॉलेजों द्वारा बनाये जाने वाले अक्षयनिधि का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जायेगा।

अक्षयनिधि: अक्षयनिधि की पचास प्रतिशत राशि को कुलसचिव, पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय और कॉलेज-प्रबंधन संयुक्त नामों पर किसी राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित बैंक में निवेशित सावधि जमा के रूप में दिखाया जाना चाहिए और शेष पचास प्रतिशत की राशि को संपत्ति के रूप में कॉलेज के प्रबंधन द्वारा दिखाया जा सकता है। यह वार्षिक आय प्राप्त करने वाली अभारग्रस्त परिसंपत्तियों के रूप में होना चाहिए। दोनों आय, यानी, सावधि जमा से वार्षिक व्याज और अभारग्रस्त परिसंपत्तियों से प्राप्त वार्षिक आय को केवल कॉलेज के रखरखाव के लिए खर्च किया जाना चाहिए।

आगे के पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक अक्षयनिधि: यदि प्रबंधन की ओर से अनुरोध प्राप्त होते हैं तो, अक्षयनिधि का किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दो किस्तों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए चार किस्तों में भुगतान किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों की परिभाषा: अभारग्रस्त संपत्ति, कॉलेज भवन, कर्मचारी भवन, छात्रावास, कृषि भूमि।

नये कॉलेज आरंभ करने हेतु अक्षयनिधि/ जमा

i	कला/ मानविकी/ सामाजिक विज्ञान	रु	25,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
ii	चिकित्सा	रु	1,00,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
iii	अभियांत्रिकी	रु	75,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
iv	दंत चिकित्सा आदि	रु	75,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
v	अध्यापक-शिक्षा	रु	25,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
vi	फिजिकल एजुकेशन	रु	15,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में

नये कॉलेज आरंभ करने हेतु अक्षयनिधि/ जमा

1	कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान	50,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
2	चिकित्सा	2,00,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
3	अभियांत्रिकी	1,50,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
4	दंत चिकित्सा	1,50,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
5	अध्यापक-शिक्षा	50,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
6	फिजिकल एजुकेशन	30,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में

vii	पशु चिकित्सा	रु.	50,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में	7	पशु चिकित्सा	1,00,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
viii	कृषि	रु.	30,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में	8	कृषि	60,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
ix	होटल मैनेजमेंट	रु.	30,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में	9	होटल मैनेजमेंट	60,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
x	विज्ञान	रु.	30,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में	10	विज्ञान	60,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
Xi	पैरा मेडिकल	रु.	30,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में	11	पैरा मेडिकल	60,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में
Xii	प्रबंधन	रु.	50,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में	12	प्रबंधन	1,00,00,000	50% नकद & 50% संपत्ति में

टिप्पणी : अक्षयनिधि के सृजन और आय / व्यय के उपयोग की शर्तें अपरिवर्तित हैं। केवल संबंधित राशि में परिवर्तन किया गया है।

मौजूदा कॉलेजों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक अक्षयनिधि का विवरण			मौजूदा कॉलेजों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक अक्षयनिधि का विवरण		
i)	कला, मानविकी & विज्ञान	रु.	1.	कला, मानविकी & विज्ञान	रु.
	बी.ए. - कोई मुख्य विषय	1,00,000/-		i) बी.ए. - कोई मुख्य विषय	2,00,000/-
	बी.एससी.- कोई मुख्य विषय	3,00,000/-		ii) बी.एससी. कोई मुख्य विषय	6,00,000/-
	बी.कॉम. डिग्री कोर्स	2,50,000/-		iii) बी.कॉम. डिग्री कोर्स	5,00,000/-
	एम.ए.- कोई विषय	2,50,000/-		iv) एम.ए.- कोई विषय	5,00,000/-
	एम.एससी.- कोई विषय	5,00,000/-		v) एम.एससी.- कोई विषय	10,00,000/-
	एम.कॉम - डिग्री कोर्स	2,50,000/-		vi) एम.कॉम - डिग्री कोर्स	5,00,000/-
ii)	चिकित्सा		2.	चिकित्सा	
	स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा/सूपर स्पेशलिटी कोर्स	25,00,000/-		i) स्नातकोत्तर डिग्री	50,00,000/-
				ii) सूपर स्पेशलिटी कोर्स	75,00,000/-

iii)	अभियांत्रिकी, प्रबंधन, एमसीए/एमबीए/समकक्ष		3.	अभियांत्रिकी, प्रबंधन, एमसीए/एमबीए/समकक्ष	
	i) स्नातक स्तर की प्रत्येक शाखा हेतु	5,00,000/-		i) स्नातक स्तर की प्रत्येक शाखा हेतु	10,00,000/-
	ii) स्नातकोत्तर स्तर की प्रत्येक शाखा हेतु	7,50,000/-		ii) स्नातकोत्तर स्तर की प्रत्येक शाखा हेतु	15,00,000/-
iv)	दंत चिकित्सा, फार्मसी, नर्सिंग, विधि आदि	10,00,000/-	4.	दंत चिकित्सा, फार्मसी, नर्सिंग, विधि आदि	20,00,000/-
v)	अध्यापक शिक्षा एम.एड	5,00,000/-	5.	अध्यापक शिक्षा एम.एड	10,00,000/-
vi)	फिजिकल एजुकेशन एम.पी.एड	5,00,000/-	6.	फिजिकल एजुकेशन एम.पी.एड	10,00,000/-

टिप्पणी: अक्षयनिधि के सृजन और व्याज के उपयोग की शर्तें अपरिवर्तित हैं तथा केवल संबंधित राशि को परिवर्तित किया गया है।

टिप्पणी : गृह विज्ञान (स्नातक स्तर पर) के लिए प्रत्येक शाखा को अक्षयनिधि हेतु अलग पाठ्यक्रम माना जायेगा। प्रामाणिक कॉलेजों द्वारा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अक्षयनिधि की आवश्यकता को छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि वे नये पाठ्यक्रम चलाने के लिए पर्याप्त आय दिखायें।

"प्रामाणिक महाविद्यालय" का तात्पर्य उन्हीं कॉलेजों से होगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों :-

- क) एक कॉलेज पिछले 25 वर्षों से स्थापित एवं प्रसिद्ध हो।
- ख) एक कॉलेज 1,000 की न्यूनतम छात्र-संख्या रखता हो।
- ग) कॉलेज में कम से कम 10 विभाग (स्नातक और स्नातकोत्तर सहित) हों।
- घ) एक कॉलेज जिसके पास 20 लाख रुपये की परिसंपत्ति हो।

विभिन्न कॉलेजों / संस्थानों आरंभ करने के लिए भूमि की आवश्यकता:

कॉलेज ऑफ आर्ट्स

.....

.....

.....

कुलपति अधिकृत हैं संबंधित।

टिप्पणी:

1. अक्षयनिधि के सृजन और व्याज के उपयोग की शर्तें अपरिवर्तित हैं। केवल संबंधित राशि को परिवर्तित किया गया है।
2. गृह विज्ञान (स्नातक स्तर पर) के लिए प्रत्येक शाखा को अक्षयनिधि हेतु अलग पाठ्यक्रम माना जायेगा। प्रामाणिक कॉलेजों द्वारा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अक्षयनिधि की आवश्यकता को छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि वे नये पाठ्यक्रम चलाने के लिए पर्याप्त आय दिखायें।

"प्रामाणिक महाविद्यालय" का तात्पर्य उन्हीं कॉलेजों से होगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों :-

- क) एक कॉलेज पिछले 25 वर्षों से स्थापित एवं प्रसिद्ध हो।
- ख) एक कॉलेज 1,000 की न्यूनतम छात्र-संख्या रखता हो।
- ग) कॉलेज में कम से कम 10 विभाग (स्नातक और स्नातकोत्तर सहित) हों।
- घ) एक कॉलेज जिसके पास 20 लाख रुपये की परिसंपत्ति हो।

कोई परिवर्तन नहीं

डॉ. बी चित्रा, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./251/2021-22]

PONDICHERRY UNIVERSITY**NOTIFICATION**

Puducherry, the 2nd September, 2021

No. PU/LC/Amendments/2019-2020/—In exercise of the power conferred under Section 27 of the Pondicherry University Act 1985 (53 of 1985) and Statutes of the University, the following amendments have been made by the Academic Council and Executive Council of the University to the “Ordinances Governing Academic matters” and published hereunder as per requirement under Section 44 of the University Act.

**AMENDMENT TO APPENDIX-I OF CHAPTER-XXIII OF THE ACADEMIC ORDINANCES
REGARDING REVISION OF FEE STRUCTURE RELATING TO AFFILIATION, INSPECTION AND
ENDOWMENT ETC.**

EXISTING VERSION	AMENDED VERSION
<u>APPENDIX -I</u>	<u>APPENDIX -I</u>
<u>Inspection Committee fund, affiliation fund, endowment etc.</u>	<u>Inspection Committee fund, affiliation fund, endowment etc.</u>
Inspection Committee Fund (Local Inspection Committee)	Inspection Committee Fund (Local Inspection Committee)
First Visit : Rs. 15,000/- + TA/DA & Honorarium @ Rs. 2,000/- per college inspection per Committee member	First Visit : Rs 30,000/- + TA/DA & Honorarium @ Rs. 2,000/- per college inspection per Committee member.
Second Visit : Rs. 15,000/- + TA/DA & Honorarium @ Rs. 2,000/- per college inspection per Committee member	Second Visit : Rs 30,000/- + TA/DA & Honorarium @ Rs. 2,000/- per college inspection per Committee member.
Assistance charge of Rs.500/- per college inspection for the non teaching officers / non teaching staff who are assisting the inspection committee	Assistance charge of Rs.1,000/- per college inspection for the non-teaching officers/non-teaching staff who are assisting the inspection committee.

<u>Late Fund :</u>	<u>Late Fund :</u>
Upto 15 days : Rs. 25,000/-	Upto 15 days : Rs.50,000
Upto 30 days : Rs. 50,000/-	Upto 30 days : Rs.1,00,000/-
Beyond 30 days : Rs. 50,000/- + Rs. 2,000/- Per day for a period of one month till closure.	Beyond 30 days : Rs.1,00,000/- + .4,000/- per day for a period of one month.

II. Affiliation Fund for starting New College / Institution	II. Affiliation Fund for starting New College/Institution
Arts & Science	1. Arts & Science
Arts & Science (UG)	i. Arts & Science(UG)
1.i.a) Affiliation fund (initial 1 st year) Arts & Science (UG) :Rs. 50,000 upto 5 courses (initial strength 40)	a) Affiliation fund (initial 1 (Up to 5 courses) (initial : Rs. 1,00,000/- strength up to 40)
b) Affiliation fund for further courses Arts & Science (UG) :Rs. 15,000/- per course	b) Affiliation fund for further courses : Rs. 30,000/- (Per course)
c) Affiliation fund for additional strength Arts & Science (UG) : Rs. 5,000/- (50 or part thereof and in multiples thereof)	

Arts & Science (PG) ii.a) Affiliation fund (initial: : Rs. 75,000/- (10-15 I year) Arts & Science Students) (PG) b) Affiliation fund for : Rs. 25,000/- per course further courses Arts & Science (PG) c) Affiliation fund for : Rs. 5,000/- (10 or part additional strength Arts & thereof and in Science (PG) multiples thereof)	c) Affiliation fund for : Rs. 10,000/- additional strength (Upto 50 or part thereof and in multiples thereof) ii. Arts & Science (PG) a) Affiliation fund (initial: I year) :Rs.1,50,000/- (Per course up to 15 Students) b) Affiliation fund for : Rs. 50,000/- further courses(per course) c) Affiliation fund for additional strength (Up : Rs. 10,000/- to 10 or part thereof and in multiples thereof)
Medical Medical (UG) 2.(i) a) Affiliation fund : Rs. 7,50,000/- (initial) I Medical (UG up to year 100 seats) b) Affiliation fund for : Rs. 1,00,000/-(for units additional strength of 50 or part thereof Medical (UG) and in multiples thereof) Medical (PG) (i).ii. a) Affiliation : Rs. 5,00,000/- fund (initial I year) Medical(PG)/Dental (PG) including super specialty in units of 4 (i).ii. b) Affiliation fund : Rs.1,00,000/-(for units for additional strength of 4 or part thereof and Medical (PG)/Dental in multiples thereof) (PG) including super specialty in units of 4 Dental i. Dental(UG) (ii) a) Affiliation fund (initial I year) for : Rs. 3,00,000/- Engineering/Dental (UG) maximum 3 courses of 60 Students.	2. Medical i. Medical (UG) a) Affiliation fund (initial I year) Rs.15,00,000/- (Up to 100 seats) b) Affiliation fund for additional strength : Rs.2,00,000/- (for units up to 50 or part thereof and in multiples thereof) ii. Medical (PG) a) i. Affiliation fund (initial I year) : Rs. 10,00,000/- (Per course - For units up to 4 or part thereof and in multiples thereof) ii. Super Specialty Course Rs.15,00,000/- (Per course - For units up to 4 or part thereof and in multiples thereof) b) i. Affiliation fund for additional strength: Rs.2,00,000/ (For units up to 4 or part thereof and in multiples thereof) ii. Super Specialty Course : Rs.2,50,000/- (For units up to 4 or part thereof and in multiples thereof) 3. Dental i. Dental(UG) a) Affiliation fund (initial I year : Rs. 6,00,000 (For maximum 3 courses up to 60 students in each)

(ii) b) Affiliation fund for further courses for Engineering/Dental (UG) : Rs. 50,000/- (ii) c) Affiliation fund for additional strength for Engineering / Dental (UG) (for additional 60 or part thereof and in multiples thereof) :Rs. 1,00,000/-	b) Affiliation fund for further courses : Rs.1,00,000/- per courses) c) Affiliation fund for additional strength : Rs. 2,00,000/- (For additional up to 60 or part thereof and in multiples thereof) ii. Dental (PG) a) i. Affiliation fund (initial I year) : Rs. 10,00,000/- (Per course - in units up to 4 or part thereof and in multiples thereof) ii. Super Specialty Course : Rs.15,00,000/- (Per course - in units up to 4 or part thereof and in multiples thereof) 3. Dental ii. Dental (PG) b) i. Affiliation fund for additional strength : Rs.2,00,000/- (For units up to 4 or part thereof and in multiples thereof) ii. Super Specialty Course : Rs.2,50,000/- (For units up to 4 or part thereof and in multiples thereof)
Engineering (PG) (ii)i.a) Affiliation fund ([initial] I year) Engineering (PG) per course with 25 students :Rs. 1,50,000/- (ii)i.b) Affiliation fund for additional strength for Engineering (PG) (from 25-50 students and in Multiples thereof) : Rs. 50,000/-	4.Engineering 4. i Engineering (UG) a) Affiliation fund (initial I year) : Rs. 6,00,000/- (For maximum 3 courses up to 60 students in each) b) Affiliation fund for further courses : Rs.1,00,000/- per courses) c) Affiliation fund for additional strength : Rs.2,00,000/- (For additional up to 60 or part thereof and in multiples thereof) ii. Engineering (PG) a) Affiliation fund (initial) I year : Rs.3,00,000/- (Per course up to 25 students) b) Affiliation fund for additional strength : Rs.1,00,000/- (From 26-50 students and in multiples thereof)

Law Courses i. Law (UG) (iii)a) Affiliation fund (initial I year) Law (UG) for a unit of 80 students : Rs. 1,00,000/- (iii)b)Affiliation fund for additional strength for Law (UG) from 81-120 students and in multiples thereof : Rs. 50,000/- ii.Law (PG) (iii)i a) Affiliation fund (initial I year) Law PG per course for a unit of 10 students : Rs. 1,50,000/- (iii)i b) Affiliation fund for Additional strength for Law (PG) from 11-20 students and in multiples thereof : Rs.50,000/- Teacher Education (iii)ii a) Affiliation fund (initial I year) B.Ed/B.Ed (integrated) 100 students per courses : Rs. 5,00,000/- (iii)ii b) Affiliation fund for additional strength for B.Ed/B.Ed (integrated) from 101-160 students and in multiples thereof : Rs. 1,00,000/-	5. Law Courses i. Law (UG) a) Affiliation fund (initial I year) : Rs.2,00,000/- (For a unit upto 80 students) b)Affiliation fund for additional strength : Rs. 1,00,000/- (From 81-120 students and in multiples thereof) ii.Law (PG) a)Affiliation fund (initial I year) : Rs.3,00,000/ (Per course - for a unit up to 10 students) b)Affiliation fund for additional strength : Rs.1,00,000/ (From 11-20 students and in multiples thereof) 6. Teacher Education i. B.Ed./ B.Ed. Integrated a) Affiliation fund (initial I year) : Rs.10,00,000/- (Upto100 students per course) b) Affiliation fund for additional strength : Rs.2,00,000/- (From 101-160 students and in multiples thereof)
--	--

M.Ed. (iii)iii a) Affiliation fund (initial I year) M.Ed course for 30 Students : Rs. 7,50,000/- (iii)iii b) Affiliation fund for additional strength for M.Ed Course from 31-50 students and in multiples thereof : Rs. 2,50,000/- Veterinary/ Agriculture(UG) (iii)iv a) Affiliation fund (initial I year) Veterinary/Agriculture (UG) for 60 Students :Rs. 3,00,000/- (iii)iv b) Affiliation fund for additional strength for Veterinary/Agriculture (UG) from 61-90 students and in multiples thereof : Rs. 1,00,000/- Paramedical/B.Pharm./BPT/B.Sc. (Nursing), etc. (iii)v a) Affiliation fund (initial I year) :Rs. 3,00,000/-	ii. M.Ed. a) Affiliation fund (initial I year) : Rs.15,00,000/- (Up to 30 Students) b) Affiliation fund for additional strength :Rs. 5,00,000/- (From 31-50 students and in multiples thereof) 7. Veterinary/ Agriculture (UG) a) Affiliation fund (initial I year) :Rs. 6,00,000/- (Up to 60 students) b)Affiliation fund for additional strength :Rs.2,00,000/- (From 61-90 students and in multiples thereof) 8. Paramedical/B.Pharm./BPT/B.Sc.(Nursing), etc. a) Affiliation fund (initial I year) : Rs.6,00,000/- (Course per unit up to 100 students)
--	--

Paramedical B.Pharm/BPT., B.Sc. (Nursing) etc. course per unit of 100 students (iii)v b) Affiliation fund :Rs. 1,00,000/- for additional strength for Paramedical B.Pharm/BPT., B.Sc. (Nursing) etc. from 101- 160 and in multiples thereof	b)Affiliation fund for additional strength : Rs. 2,00,000/- (From 101-160 and in multiples thereof)
---	--

Other PG Professional courses, MCA/MBA/ M.Pharm /MVSc/M.Sc.(Agri), etc. (iii)vi a) Affiliation fund (initial I :Rs. 2,50,000/- year) for other PG Professional courses MCA/MBA/M.Pharm/ MVSc/M.Sc.(Agri) etc. upto 60 seats (iii)vi b) Affiliation fund for :Rs. 1,00,000/- additional strength for other PG Professional courses MCA/MBA/M.Pharm/ MVSc /M.Sc.(Agri) etc. from 61-120 and in multiples thereof M.Phil. Courses (iii)vii a) Affiliation fund (initial I : Rs. 2,50,000/- year) M.Phil upto 5 courses with 10 seats per course (iii)vii b) Affiliation fund per : Rs. 5,000/- course for additional strength for M.Phil for 10-15 and in multiples of 5 thereof Ph.D Courses (iii)viii a) Affiliation fund (initial I : Rs. 2,50,000/- year) Ph.D. upto 5 courses	9. Other PG Professional courses, MCA/MBA/ M.Pharm /MVSc/M.Sc.(Agri), etc. a) Affiliation fund (initial I year) : Rs. 5,00,000/- (Upto 60 seats) b) Affiliation fund for additional strength : Rs.2,00,000/- (From 61-120 and in multiples thereof) 10. M.Phil. Courses a) Affiliation fund (initial I year) : Rs.5,00,000/- (Upto 5 courses with 10 seats per course) b) Affiliation fund for additional strength : Rs. 10,000/- (From 11-15 and in multiples of 5 thereof per course) 11.Ph.D Courses Affiliation fund (initial I year) a) Arts and Science :Rs.5,00,000/- (Ph.D. upto 5 courses) b) Professional Courses :Rs.10,00,000/- (Ph.D. upto 5 courses)
---	---

<u>Affiliation fund for continuation of Provisional Affiliation per course</u> 3.I. Arts & Science: (UG) : Rs. 10,000/- I (ii) Law (UG) for a unit of : Rs. 10,000/- 80 students I (iii) a. Arts & Science PG : Rs. 10,000/- (per course)	<u>III. Affiliation fund for continuation of Provisional Affiliation</u> 1.Arts & Science : Rs.20,000/- a) UG (per course) b) PG (per course) :Rs.20,000/-
---	---

Medical b. Medical (UG) (per course) : Rs. 1,50,000/- (for 100 seats for more seats upto 50, or part thereof Rs. 75,000/- and in multiples thereof) c. Medical (PG)/Dental (PG) including super specialty in units of four : Rs. 50,000/- Rs. 25,000/- for 4 more or part thereof and in multiples thereof.	2. Medical a) i. UG (per course for 100 seats) :Rs.3,00,000/- ii. For more seats upto 50, or part thereof and in multiples thereof :Rs.1,50,000/- b.i. PG per course in units upto four : Rs.1,00,000/- ii. For more or part thereof and in multiples thereof : Rs.50,000/- iii. Super Specialty Courses (in units upto four) :Rs.1,50,000/- iv. For more or part thereof and in multiples thereof : Rs.1,00,000/-
---	--

Dental / Engineering d. Engineering/Dental (UG) : Rs. 50,000/- Maximum: 3 courses @ 60 students per course For each additional 60 students or part thereof: per course : Rs. 10,000/-	3. Dental a). i. UG (Maximum 3 courses upto 60 students per course) :Rs. 1,00,000/- ii. For each additional 60 students or part thereof (Per course) : Rs.20,000/- b).i. PG per course in units upto four : Rs.1,00,000/- ii. For more or part thereof and in multiples thereof : Rs.50,000/- iii. Super Specialty Courses (in units upto four) :Rs.1,50,000/- iv. For more or part thereof and in multiples thereof : Rs.1,00,000/- 4. Engineering a) i. UG (Maximum 3 courses up to 60 students per course) :Rs. 1,00,000/- ii. For each additional 60 students or part thereof (Per course) : Rs.20,000/-
---	--

e. Engineering (PG) per course with 25 students : Rs. 25,000/- Law f. Law PG: Per course for a unit of 10 students : Rs. 10,000/- Teacher Education g. B.Ed./B.Ed(Integrated) upto 100 students per course : Rs. 50,000/- M.Ed. h. M.Ed. per 30 students : Rs. 50,000/- Veterinary/Agriculture (UG) i. Veterinary /Agriculture (UG) for 60 students : Rs. 60,000/- Paramedical Courses j. Paramedical: B.Pharm/BPT/B.Sc. Nursing etc. per course per unit of 100 students. : Rs. 75,000/- Other PG Professional Courses k. Other PG Professional courses MCA/MBA/M.Pharm/MVSc/M.Sc (Agri) etc. upto 60 seats : Rs. 20,000/-	b) PG (Per course with 25 students) : Rs.50,000/- 5.Law a) UG (For a unit of 80 students) :Rs.20,000/- b) PG (Per course for a unit of 10 students) :Rs. 20,000/- 6. Teacher Education a) B.Ed/B.Ed (Integrated) (Upto 100 students per course) :Rs.1,00,000/- b) M.Ed. (Upto 30 Students) :Rs1,00,000/- 7. Veterinary/Agriculture (UG) (For 60 students) :Rs.1,20,000/- 8.Paramedical Courses B. Pharm/BPT/B.Sc Nursing, etc. (Per course per unit of 100 Students) : Rs.1,50,000/- 9. Other PG Professional Courses : Rs.40,000/- MCA/MBA/M.Pharm./M.V.Sc./ /M.Sc. (Agri.), etc.(Upto 60 seats)
--	---

Continuation of Recognition l. M.Phil upto five Additional course Rs. 5,000/- per course :Rs. 20,000/- m. Ph.D. upto five Additional course Rs. 5,000/- per course : Rs. 20,000/-	10. Continuation of Recognition a) i. M. Phil (upto five courses) :Rs.40,000/- ii. Additional per course :Rs.10,000/- b) i. Ph.D (upto five courses Arts and Science :Rs. 40,000/- Professional Courses :Rs.75,000/- ii. Additional per course :Rs.10,000/- Arts and Science Professional Courses :Rs.25,000/-
---	---

3.II Affiliation fund for each new course in subsequent Years Arts & Science (i) Arts & Science (per course) (under graduate) Rs. 20,000/-	IV. Affiliation fund for each new course in subsequent Years 1.Arts & Science a) Under Graduate (per course) :Rs.40,000/- b) PG (10 to 15 students per course) :Rs.1,00,000/-
---	---

Medical (ii) a) Medical (under graduate) :NIL Dental /Engineering: b) Engineering / Dental (under graduate)Maximum of 3 courses @ 60 students per course. Rs.1,00,000/-	c. M.Phil. (upto 10 seats per programme) :Rs.40,000/- d) Ph.D (per programme) :Rs.10,000/- 2.Medical a)UG (per course) : NIL b) (i) Post graduate (per course – For units upto 4 or part thereof and In multiples thereof) :Rs.4,00,000/- (ii) For 4 more or part thereof :Rs.2,00,000/- (iii) Super specialty courses (per course – For units upto 4 or part thereof and In multiples thereof) :Rs.4,50,000/- 3.Dental a) i. Under Graduate (Maximum of 3 courses up to 60 students per course) :Rs2,00,000/-
For more than 60 students or part thereof per course Rs.50,000/- Law c) Law (under graduate) N.A.	ii. For more than 60 students or part thereof per course : Rs.1,00,000/- b) i. Post Graduate (Per course - For units upto 4 or part thereof and in multiples thereof) :Rs.4,00,000/- ii. For 4 more or part thereof :Rs.2,00,000/- iii. Super Specialty Courses (Per course - For units upto 4 or part thereof and in multiples thereof) :Rs.4,50,000/- 4.Engineering a) i. Under Graduate (Maximum of 3 courses up to 60 students per course) :Rs.2,00,000/- ii. For more than 60 students or part thereof per course :Rs.1,00,000/- b) Post Graduate (Per course upto 25 students) :Rs.2,00,000/- 5.Law a) Under Graduate :NIL b) PG (per course for a unit upto 10 students) : Rs.50,000/-

Teacher Education d) B.Ed/B.Ed (Integrated) : N.A.	6. Teacher Education a) B.Ed./B.Ed. (Integrated) : NIL b) M.Ed. per 30 students : NIL
--	--

Veterinary/Agriculture e) Veterinary/Agriculture (undergraduate) : N.A. Paramedical f) ParaMedical : Rs.50,000/- B.Sc(Nursing) B.Pharm /BPT /etc., per course per Unit of 100 students (iii) (a) Arts & Science (PG) : Rs.50,000/- 10 to 15 students (b) M.Phil upto 10 seats : Rs.20,000/- per programme (c) Ph.D per programme : Rs.5,000/- (a) i) Medical P.G./Dental P.G. : Rs. 2,00,000/- including Super specialty courses in units of 4 ii) For 4 more or part thereof : Rs. 1,00,000/- (b) Engineering (PG) per course with 25 students : Rs. 1,00,000/-	7. Veterinary/Agriculture a) Under Graduate : NA b) Post Graduate : NA 8. Paramedical B.Sc. Nursing/ B.Pharm/ BPT, etc. : Rs.1,00,000/- (per course per unit upto 100 students)
--	--

(c) Law (PG) per course for a unit of 10 students : Rs. 25,000/- (d) M.Ed per 30 students : N.A. Other PG Professional Course Other PG Professional Courses : Rs. 80,000/- MCA/MBA/M.Pharm/MVSc/ M.Sc(Agri) etc., upto 60 seats	9. Other PG Professional Course MCA/MBA/M.Pharm/M.V.Sc./M.Sc.(Agri)etc, : Rs.1,60,000/- (Upto 60 seats)
--	--

	V. Other Fees 1. For change of Name – Rs. 50,000/- 2. For change of Trust – Rs. 50,000/- 3. For Gender change (Men-Women, etc.) – Rs. 50,000/- 4. For Colleges/Institution closure – Rs. 1,00,000/- 5. For course closure – Rs. 1,00,000/- 6. Processing fees i) a) Application processing fees for new college – Rs. 50,000/- b) Application processing fees for new college under Indian Medicine – Rs. 25,000/- ii) Application processing fees for new courses – Rs. 25,000/- iii) Application processing fees for increase in intake – Rs. 5,000/- iv) Processing fees of applications for for all introducing new courses for which no disciplines syllabus is available – Rs.4,00,000/- 7. Fine (For unauthorized excess admission made in a course for which affiliation is already granted)
--	--

	<table> <tr> <td rowspan="2">(i) For Arts and Science Courses</td><td>(a) UG- Rs. 30,000/- per seat</td></tr> <tr> <td>(b) PG- Rs. 40,000/- per seat</td></tr> <tr> <td rowspan="2">(ii) All Professional Courses</td><td>(a) UG. Rs. 50,000/- per seat</td></tr> <tr> <td>(b) PG- Rs. 75,000/- per seat</td></tr> </table> Note: In addition to the above fines, Vice-Chancellor may decide on the quantum of fine to be imposed depending upon the gravity of the lapses of the concerned colleges on case to case basis. 8. Affiliation fund for new disciplines under Indian Medicine – Ayurveda/ Siddha/ Homeopathy i) For starting new Colleges (Upto 100 seats) – Rs. 2,00,000/- ii) For starting new courses (Per course) – Rs. 50,000/- iii) For increase in intake (1-10 seats) – Rs. 20,000/-	(i) For Arts and Science Courses	(a) UG- Rs. 30,000/- per seat	(b) PG- Rs. 40,000/- per seat	(ii) All Professional Courses	(a) UG. Rs. 50,000/- per seat	(b) PG- Rs. 75,000/- per seat
(i) For Arts and Science Courses	(a) UG- Rs. 30,000/- per seat						
	(b) PG- Rs. 40,000/- per seat						
(ii) All Professional Courses	(a) UG. Rs. 50,000/- per seat						
	(b) PG- Rs. 75,000/- per seat						

4. Permanent Affiliation Fund/ Norms for the Colleges				VI. Permanent Affiliation Fund/ Norms for the Colleges			
Sl.No.	Permanent affiliation fund	Permanent affiliation fund upto 5 years Rs.	Permanent affiliation fund for each additional course Rs.	Sl. No.	Name of Course(s)	Permanent Affiliation Fund upto 5 years	Permanent Affiliation Fund for each additional course
(i)	Arts & Science (UG) (for 5 courses) Arts & Science (PG) (for 5 courses)10 – 15 students	1,00,000/-	20,000/-	1.	Arts & Science (UG) (for 5 courses) Arts & Science (PG) (for 5 courses) 10-15 students	2,00,000/-	40,000/-
(ii)	Medical (UG) upto 100 seats	15,00,000/- (for 100 students) 7,50,000/- for additional 50 or part thereof	As indicated in previous column	2.	Medical (UG) upto 100 seats	30,00,000/-	As indicated in previous column
(iii) (a)	Medical (PG)/ Dental PG Including super specialty in units of 4 per course	4,00,000/-	4,00,000/-		For additional 50 or part thereof	15,00,000/-	
(b)	Additional 4 students or part thereof	2,00,000/-	2,00,000/-	3.	Medical (PG) in units of 4 per course	8,00,000/-	8,00,000/-
					Additional 4 students or part thereof	4,00,000/-	4,00,000/-
					Super Specialty Courses in units of 4 per course	8,50,000/-	8,50,000/-
					Additional 4 students or part thereof	4,50,000/-	4,50,000/-

(iv)	Engineering/ Dental (UG) Maximum 3 courses @ 60 students per course For 60 more or part thereof	2,00,000/- 1,00,000/-	2,00,000/- 1,00,000/-	4.	Dental (UG) Maximum 3 courses @ 60 students per course	4,00,000/-	4,00,000/-
					For 60 more or part thereof	2,00,000/-	2,00,000/-
					Dental (PG) in units of 4 per course	8,00,000/-	8,00,000/-
					Additional 4 students or part thereof	4,00,000/-	4,00,000/-
					Super Specialty Courses in units of 4 per course	8,50,000/-	8,50,000/-

	5.	Additional 4 students or part thereof	4,50,000/-	4,50,000/-
	6.	Engineering (UG) Maximum 3 courses upto 60 students per course	4,00,000/-	4,00,000/-
		For 60 more of part thereof	2,00,000/-	2,00,000/-

(v)	Engineering PG per course with 25 students	2,00,000/-	2,00,000/-	7.	Engineering PG Per course with 25 students	4,00,000/-	4,00,000/-
(vi)	Law (UG) for a Unit of 80 students per course	1,00,000/-	1,00,000/-	8.	Law (UG) for a unit of 80 students per course	2,00,000/-	2,00,000/-
vii)	Law (PG) for a Unit of 10 students per course	1,00,000/-	1,00,000/-	9.	Law (PG) for a unit of 10 students per course	2,00,000/-	2,00,000/-
(viii)	B.Ed/B.Ed (Int) upto 100 students per course	5,00,000/-	5,00,000/-	10.	B.Ed/B.Ed (Integrated) upto 100 students per course	10,00,000/-	10,00,000/-
(ix)	M.Ed (per 30 students)	5,00,000/-	5,00,000/-	11.	M.Ed (per 30 students)	10,00,000/-	10,00,000/-
(x)	Veterinary/ Agriculture UG for 60 Students per course	6,00,000/-	6,00,000/-	12.	Veterinary/ Agriculture (UG) For 60 students per course	12,00,000/-	12,00,000/-
(xi)	Paramedical: BPharm/BPT, B.Sc (Nursing) etc. per course per unit of 100 students	5,00,000/-	1,00,000	13.	Paramedical Courses: B.Pharm/ BPT/ B.Sc. (Nursing),etc. per course per unit of 100 students	10,00,000/-	10,00,000/-

(xii)	Other PG Professional courses MCA/MBA/MPharm/ MVSc/M.Sc.(Agri) etc. upto 60 seats per course	80,000/-	50,000/-	14.	Other PG Professional Courses: MCA/MBA/M.Pharm./M.V.Sc./ M.Sc.(Agri), etc. Upto 60 seats per course	1,60,000/-	1,00,000/-
(xiii)	M.Phil/Ph.D. upto 10 seats for 5 courses	80,000/-	50,000/-	15.	M.Phil./ Ph.D. Upto 10 seats for 5 courses	1,60,000/-	1,00,000/-
(xiv)	Ph.D. for 5 courses	80,000/-	50,000/-	16.	Ph.D. for 5 courses	1,60,000/-	1,00,000/-

NORMS FOR GRANT OF PERMANENT AFFILIATION

- (i) Three consecutive batches of students should have passed out in the concerned discipline for which permanent affiliation is sought.
- (ii) The institution should show evidence for unencumbered own land and building as per the prescribed affiliation norms at the time of grant of affiliation. The legal opinion from the Government pleader for the ownership of the land should also be produced.
- (iii) The institution should have appointed (at least 80%) teachers on a regular basis in the concerned discipline and paid as per the pay scales prescribed by the Government/statutory organizations. Such teachers should possess the qualification prescribed by the UGC/respective statutory organization. The records of the same should be maintained.
- (iv) The institution should have fulfilled all the conditions and followed all the rules and regulations prescribed by the University for the grant of affiliation.
- (v) If there are any incidents of violations of conditions prescribed for the grant of affiliation noticed by the University, then, the University reserves the right to suspend the affiliation of the Institution for a prescribed period which would be decided by the committee, based on the nature of violation.
- (vi) The Institution should not collect either directly or through any of its associated trust etc., any capitation fee or donation from any of its students or employees except the fee and other charges prescribed by the University/ Government.
- (vii) The Management of an unaided college shall have its accounts audited at the end of each financial year by a registered chartered accountant. A copy of the annual accounts shall be made available alongwith the audit report to the University for inspection within six months from the closure of the financial year.
- (viii) Admission should be made in accordance with the guidelines issued by the University/Government from time to time.
- (ix) The University reserves the right to inspect the Institution at any time for continuance of affiliation.
- (x) The Institution should maintain all the registers and records and statistical data required to be maintained under University regulations/rules and should be made available as and when required by the University.
- (xi) The institution should submit its application for grant of permanent affiliation in the prescribed format available in the website www.pondiuni.edu.in on or before 1st October of the preceding academic year.
- (xii) Any change affecting the college's permanent affiliation status either in terms of faculty position or infrastructure facilities brought to the notice of the University would automatically lead to disqualification.
- (xiii) All dues to the University should have been promptly paid by the college seeking permanent affiliation.
- (xiv) There should not be any persistent defects in the college for three years prior to the request for permanent affiliation.

- Note:** (i) The grant of permanent affiliation will be subject to review once in five years and the fund may be paid accordingly once in five years.
- (ii) The minimum requirement of availability of regular teachers may be decided by the inspection committee, taking into account long term contract / adhoc appointments, particularly in the Government colleges.

<u>Existing provision for endowment and land for new colleges / courses</u>	<u>Existing provision for endowment and land for new colleges/ courses</u>
Endowment: The details of Endowments to be created to open new College or by Colleges seeking to start new course shall be as given below: Endowment: Fifty percent of the endowment should be shown in the form of fixed deposit invested in nationalized bank or scheduled bank in the joint names of the Registrar, Pondicherry University and the Management of College and the balance Fifty percent may be shown by the Management of the College in the form of property. This should be in the form of unencumbered assets fetching annual income. Both the income, i.e., annual interest from the fixed deposit and the annual income from the unencumbered assets should be spent only for the maintenance of the College. Endowment required for further courses: (the endowment may be paid in instalments, two instalments for under graduate courses and four instalments for post-graduate courses, if such requests are received from the Management). Definition of Assets: Unencumbered Properties, College Buildings, Staff Quarters, Hostels, Agricultural land	Endowment: The details of Endowment to be created to open new College or by Colleges seeking to start new course shall be given below: Endowment: Fifty percent of the endowment should be shown in the form of fixed deposit invested in nationalized bank or scheduled bank in the joint names of the Registrar, Pondicherry University and the Management of College and the balance Fifty percent may be shown by the Management of the College in the form of property. This should be in the form of unencumbered assets fetching annual income. Both the income, i.e., annual interest from the fixed deposit and the annual income from the unencumbered assets should be spent only for the maintenance of the College. Endowment required for further courses: The endowment may be paid in installments, two installments for under graduate courses and four installments for post-graduate courses, if such requests are received from the Management. Definition of Assets: Unencumbered properties, College Building, Staff Quarters, Hostels, Agricultural lands.

Endowment / Deposits for starting New Colleges					Endowment/ Deposits for starting New Colleges			
(i)	Arts/Humanitie/ Social Sciences	Rs.	25,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	1.	Arts/ Humanities/ Social Sciences	Rs.50,00,000	50% in cash & 50% in property
(ii)	Medical	Rs.	1,00,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	2.	Medical	Rs.2,00,00,000	50% in cash & 50% in property
(iii)	Engineering	Rs.	75,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	3.	Engineering	Rs.1,50,00,000	50% in cash & 50% in property
(iv)	Dental, etc.	Rs.	75,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	4.	Dental	Rs.1,50,00,000	50% in cash & 50% in property

(v)	Education	Rs.	25,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	5.	Education	Rs.50,00,000	50% in cash & 50% in property
(vi)	Physical Education	Rs.	15,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	6.	Physical Education	Rs.30,00,000	50% in cash & 50% in property
(vii)	Veterinary	Rs.	50,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	7.	Veterinary	Rs.1,00,00,000	50% in cash & 50% in property
(viii)	Agriculture	Rs.	30,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	8.	Agriculture	Rs.60,00,000	50% in cash & 50% in property
(ix)	Hotel Management	Rs.	30,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	9.	Hotel Management	Rs.60,00,000	50% in cash & 50% in property
(x)	Sciences	Rs.	30,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	10.	Sciences	Rs.60,00,000	50% in cash & 50% in property
(xi)	Paramedical	Rs.	30,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	11.	Paramedical	Rs.60,00,000	50% in cash & 50% in property
(xii)	Management	Rs.	50,00,000	(50% in Cash & 50% in property)	12.	Management	Rs.1,00,00,000	50% in cash & 50% in property

Note: The terms of creation of endowment and utilization of income / interest remain unchanged. Only the respective amount has been changed.

Endowment Required for additional Courses in existing Colleges			Endowment Required for additional Courses in existing colleges		
i)	Arts, Humanities & Sciences	Rs.	1.	Arts, Humanities & Sciences	Rs.
	B.A. – any main subject	1,00,000		i) B.A. – any main subject	Rs.2,00,000
	B.Sc. – any main subject	3,00,000		ii) B.Sc. – any main subject	Rs.6,00,000
	B.Com. – Degree Course	2,50,000		iii) B.Com. – Degree Course	Rs.5,00,000
	M.A. – any subject	2,50,000		iv) M.A. – any subject	Rs.5,00,000
	M.Sc. – any subject	5,00,000		v) M.Sc. – any subject	Rs.10,00,000
	M.Com. – Degree Course	2,50,000		vi) M.Com. – Degree Course	Rs.5,00,000
ii)	Medical Post Graduate Degree/ Diploma/Super Specialty Course	25,00,000	2.	Medical	
				i) Post Graduate Degree/ Diploma	Rs.50,00,000

				ii) Super Specialty Course	Rs.75,00,000
iii)	Engineering, Management, MCA/MBA/equivalent		3.	Engineering/ Management/ MCA/ MBA/ equivalent	
	(i) For each branch of Under Graduate Level	5,00,000		i) For each branch of UG level	Rs.10,00,000
	(ii) For each branch of Post Graduate Level	7,50,000		ii) For each branch of PG level	Rs.15,00,000

iv)	Dental, Pharmacy, Nursing, Law, etc.	10,00,000	4.	Dental, Pharmacy, Nursing, Law, etc.,	Rs.20,00,000
v)	Education M.Ed.,	5,00,000	5.	Education: M.Ed.	Rs.10,00,000
vi)	Physical Education M.P.Ed	5,00,000	6.	Physical Education: M.P.Ed.	Rs.10,00,000

Note: The terms of creation of endowment and utilization of interest remain unchanged only the respective amount has been changed.

Note: For Home Science (at under-graduate) each branch shall be treated as separate course for purpose of endowment. The requirement of endowment for starting courses by established Colleges may be exempted provided they show adequate income for running the new courses.

“Established College” shall mean a college satisfying the following norms:-

- A College having been established for the past 25 years.
- A College having a minimum student strength of 1,000.
- A College having a minimum of 10 departments (Under-graduate and Post-graduate)
- A College having assets worth Rs. 20 lakhs.

Note:

- The terms of creation of endowment and utilization of interest remain unchanged. Only the respective amount has been changed.
- For Home Science (at under-graduate) each branch shall be treated as separate course for purpose of endowment. The requirement of endowment for starting courses by established Colleges may be exempted provided they show adequate income for running the new courses.

“Established College” shall mean a college satisfying the following norms:

- A College having been established for the past 25 years.
- A College having a minimum student strength of 1,000.
- A College having a minimum of 10 departments (Under-graduate and Post-graduate)
- A College having assets worth Rs.20 lakhs.

Land requirement for starting various Colleges/ Institutions:

College of Arts, Humanities and Sciences (including colleges offering three year catering and hotel management courses):

Suitable single plot of land measuring not less than five (5) acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for construction of the college.

Medical College:

Suitable single plot of land measuring not less than 25 acres owned and possessed by the applicant or is possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

Dental College:

Suitable single plot of land measuring not less than 10 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

Paramedical College:

Suitable single plot of land measuring not less than 5 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

Engineering College:

A new engineering institution located in non-metro location will have a land of about 20 acres at its disposal and 10 acres in the case of institution located in a metro location before starting.

Teachers' College:

A total of land measuring not less than 5 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

Law College:

A total of land measuring not less than 10 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

Physical Education College:

A total of land measuring not less than 10 acres owned and possessed by the applicant or possessed by way of 99 years lease for the construction of the college.

The Vice-Chancellor is authorized to make changes in the land requirements wherever necessary as per the requirements specified by the Statutory Bodies concerned.

Dr. B. CHITHRA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./251/2021-22]